**NOTE FOR PAD**

**\*80 Outstanding Amount of Crop Insurance**

The Government of India launched Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) in the year 2016. In Haryana, the scheme is being implemented from Kharif 2016 on the basis of operational guidelines of the scheme and recommendation of State Level Coordination Committee on Crop Insurance. Paddy, Bajra, Maize, Cotton and Moong crops are being covered in Kharif season and Wheat, Mustard, Gram, Barley & Sunflower are being covered in Rabi season. The scheme is being implementing in the state in cluster approach. Cluster I and II contain 7districts each whereas cluster III has 8 districts. The Farmers share is 2 % of Sum Insured (SI) for Kharif, 1.5% for Rabi and 5% for Cotton (commercial/ annual crop), remaining premium amount is borne by State and Centre Govt. in equal ratio. The brief detail of the scheme is as under :-

1. **Sum Insured: -**

(Rs. Per hectare)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Year** | **Paddy** | **Bajra** | **Maize** | **Cotton** | **Wheat** | **Mustard** | **Barley** | **Gram** | **Sunflower** | **Moong** |
| 2016-17 | 62500 | 27500 | 25000 | 60000 | 55000 | 27500 | 25000 | 25000 | - | - |
| 2017-18 | 71500 | 33500 | 36000 | 69000 | 60500 | 36000 | 33500 | 26000 | - | - |
| 2018-19 | 73500 | 36000 | 41500 | 72000 | 66500 | 38000 | 40500 | 29500 | 39000 | - |
| 2019-20 | 77800 | 37000 | 38300 | 76600 | 63000 | 38500 | 40750 | 29600 | 39500 | - |
| 2020-21 | 84015 | 39536 | 42008 | 81545 | 64248 | 43244 | 42008 | 32124 | 42008 | - |
| 2021-22 | 88216 | 41512 | 44108 | 85622 | 67460 | 45406 | 44108 | 33730 | 44108 | - |
| 2022-23 | 92626 | 43588 | 46314 | 89903 | 70834 | 47676 | 46314 | 35416 | 46314 | 40750 |
| 2023-24 | 96371 | 46456 | 49421 | 98595 | 72896 | 48927 | 46456 | 35730 | 49421 | 43243 |

1. **Implementing Agencies (for both Kharif & Rabi): -**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Season** | **Cluster-I** | **Cluster-II** | **Cluster-III** |
| **2016-17** | Reliance GIC. | Bajaj Allianz, GIC | ICICI Lombard GIC |
| **2017-18** | ICICI Lombard GIC | Bajaj Allianz, GIC | Bajaj Allianz, GIC |
| **2018-19** | The oriental GIC | SBI GIC | Universal Sompo GIC |
| **2019-20** | Agriculture insurance Company | SBI GIC | Bajaj Allianz, GIC |
| **2020-21** | Agriculture insurance Company | Reliance Insurance Company | Bajaj Allianz, GIC |
| **2021-22** | Agriculture insurance Company | Reliance Insurance Company | Bajaj Allianz, GIC |
| **2022-23** | Agriculture insurance Company | Reliance Insurance Company | Bajaj Allianz, GIC |
| **2023-24** | Agriculture insurance Company | No Insurance Company | Kshema GIC |

1. **Tenders for Cluster-II and Cluster-III for Kharif 2024 to Rabi 2025-26 is under process while Cluster-I stands allotted to AIC.**

**Cluster–I** Sirsa, Bhiwani, Faridabad, Kurukshetra, Kaithal, Panchkula, Rewari

**Cluster-II** Hisar, Sonipat, Gurgaon, Karnal, Jind, Mahendargarh, Ambala.

**Cluster-III** Y.Nagar, Panipat, Palwal, Rohtak, Fatehabad, Jhajjar, Mewat,Ch.Dadri

**\* Bhiwani district have been vice-versa with Rohtak district from Kharif 2023.**

**Risks Covered: -**

1. **Localized Calamities: -**
2. **Peril: -**Hailstorm, Inundation, Cloud burst and lightening.
3. **Method of Loss Assessment:** -Individual field level survey by joint committee i.e Block Agriculture Officer, Loss Assessor of the Insurance Company and the concerned farmer.
4. **Standing Crop (Sowing to Harvesting):-**
5. **Peril: -**Drought, Dry spell, Flood, Inundation, widespread Pests and Disease attack, Lightening, Storm/Hailstorm.
6. **Method of Loss assessment:** -Village level loss assessment through Crop Cutting Experiments.
7. **Post-Harvest Losses:**
8. **Peril: -**Hailstorm, Cyclonic rains and Unseasonal rains.
9. **Method of loss assessment: -**Individual field level survey by joint committee i.e Block Agriculture Officer, Loss Assessors of the Insurance Company and the concerned farmer.
10. **Progress of the scheme from Kharif 2016 to Rabi 2022-23.**

(Amount in Lakh.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Season** | **Total Farmers Covered** | **Total Area Covered** | **Number of Farmers benefited** | **Collected Premium** | | | **Total Premium** | **Claim** |
| **Farmers Share** | **State Share** | **Central Share** |
| Kharif 2016 | 738795 | 29.46 | 150881 | 12735.62 | 8332.42 | 4616.37 | 25684.41 | 23423.05 |
| Rabi 2016-17 | 597298 | 22.25 | 62606 | 6994.67 | 1892.81 | 1892.81 | 10780.29 | 5702.64 |
| Kharif 2017 | 632421 | 23.77 | 242699 | 12486.66 | 11435.53 | 6181.92 | 30104.11 | 80499.83 |
| Rabi 2017-18 | 691246 | 22.84 | 77433 | 8125.68 | 3378.77 | 3378.77 | 14883.22 | 8624.74 |
| Kharif 2018 | 722953 | 24.42 | 319454 | 13908.27 | 26084.97 | 18099.62 | 58092.86 | 80448.59 |
| Rabi 2018-19 | 774947 | 26.97 | 90284 | 10236.94 | 8526.07 | 8526.07 | 27289.08 | 14277.33 |
| Kharif 2019 | 820585 | 27.81 | 247547 | 16743.15 | 39950.81 | 28969.97 | 85663.92 | 59076.09 |
| Rabi 2019-20 | 890453 | 27.81 | 313145 | 10162.66 | 13156.30 | 13156.30 | 36475.23 | 34576.79 |
| Kharif 2020 | 887258 | 24.76 | 354807 | 26470.94 | 34953.32 | 34943.47 | 96367.73 | 110981.77 |
| Rabi 2020-21 | 757035 | 21.71 | 117844 | 7985.11 | 13213.26 | 13202.41 | 34400.78 | 15784.25 |
| Kharif 2021 | 746606 | 20.48 | 423450 | 24249.02 | 31925.03 | 31925.00 | 88099.05 | 140007.72 |
| Rabi 2021-22 | 733674 | 20.38 | 220735 | 7606.53 | 13639.77 | 13632.14 | 34878.44 | 25372.68 |
| Kharif 2022 | 818761 | 21.27 | 404292 | 28708.21 | 36665.33 | 36666.47 | 102040.01 | 180473.00 |
| Rabi 2022-23 | 739181 | 20.37 | 181317 | 7921.52 | 14356.47 | 14350.73 | 36628.72 | 38629.00 |
| Kharif 2023 | 2438233  (201579 Farmers) | 6.27 | -- | 9239.42 | 14089.73 | 14089.73 | 37418.88 | 0 |
| Rabi 2023-24 | 6362291  (226688 Farmers) | 13.82 | -- | 5231.58 | 9221.82 | 9221.82 | 23675.22 | 0 |
| **Total** | **13450507** | **354.39** | **3206494** | **208805.98** | **280822.41** | **252853.6** | **742481.95** | **817877.48** |
| **Total Figure in Cr.** | | | | **2088.06** | **2808.22** | **2528.54** | **7424.82** | **8178.77** |

1. As per operational guidelines of the Scheme, several committees have constituted at different level for grievance mechanism or to resolve the disputes under the scheme.
2. State Level Grievance Committee to resolve the state level disputes under the scheme.
3. State Level Technical Advisory committee to look into or decide the technical disputes of the scheme
4. District Level Grievance Committee to resolve the district level disputes under the Scheme.
5. District level Steering Committee to resolve yield related disputes.
6. Loss Assessment/Survey Committee to assess the localized claims under the scheme.
7. **Timeline for payment of claim**
   1. In case of localized calamity, insurance companies are bound to pay the claim within 15 days (subject to receipt of farmers' premium and first installment of subsidy) after completion of loss assessment.
   2. The Insurance Companies release the claims beyond 30 days of uploading AY data on portal/provided in soft copy by State Government subject to release of applicable subsidy by State Government. If insurance company fails to pay the claim timely, then penal interest @12% per annum will be recovered on admissible pending claim amount.
8. **District Wise detail of tentative pending compensation**

(Amount in Crore)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **District** | **Due to NEFT/PFMS rejection** | | **Outstanding Claims 2022-23** | **Total** |
| **2021-22** | **2022-23** |
| Ambala | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| Bhiwani | 2.49 | 0.05 | 52.00 | 54.54 |
| Charkhi Dadri | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| Faridabad | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| Fatehabad | 0.37 | 0.01 | 0.00 | 0.38 |
| Gurugram | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| Hisar | 0.80 | 0.00 | 68.00 | 68.8 |
| Jhajjar | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| Jind | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
| Kaithal | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
| Karnal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kurukshetra | 0.20 | 0.01 | 0.00 | 0.21 |
| Mahendergarh | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| Mewat | 0.09 | 0.00 | 21.00 | 21.09 |
| Palwal | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| Panchkula | 0.01 | 0.00 | 2.00 | 2.01 |
| Panipat | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| Rewari | 1.97 | 0.03 | 7.90 | 9.9 |
| Rohtak | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.1 |
| Sirsa | 2.60 | 0.06 | 0.00 | 2.66 |
| Sonipat | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
| Yamuna Nagar | 0.01 | 0.00 | 3.5 | 3.51 |
| **Total** | **10.3** | **0.18** | **154.4** | **164.88** |

\* The outstanding pending claims of Bhiwani, Hisar, Panchkula & Rewari for 2022-23 will be release shortly and the matter of Yamunanagar will be taken up in State Level Technical Advisory Committee for decision. The claim of Nuh district is pending due to enquiry.

\* The claim payment of 2023-24 is under process.

1. **Details regarding heavy loss due to rain occurred to Cotton and Paddy crop during Kharif – 2023**

The loss due to rain to Cotton and Paddy crop during Kharif-2023 is assessed by Agriculture Department along with Insurance Company for insured farmers and by Revenue & Disaster Management Department for uninsured farmers. The details of both types of farmers is as under:-

1. **Insured Farmers**

A total of 1430.48 hectare of land has suffered loss during Kharif 2023under Prdhan Mantri Fasal Bima Yojana. District wise and crop loss intimation and area affected details are as under:-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Districts** | **Loss intimations by farmers** | | | | | | **Total affected Area (Ha.)** |
| **Paddy** | **Cotton** | **Bajra** | **Maize** | **Moong** | **Total** |
| Rewari | 8 | 471 | 370 | 0 | 1 | 850 | 281.70 |
| Fatehabad | 1 | 137 | 3 | 0 | 0 | 141 | 74.27 |
| Nuh | 1459 | 6 | 1188 | 0 | 0 | 2653 | 564.68 |
| Jhajjar | 14 | 754 | 138 | 0 | 0 | 906 | 257.71 |
| Panchkula | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.35 |
| Rohtak | 2 | 29 | 7 | 0 | 0 | 38 | 19.59 |
| Sirsa | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17.52 |
| Bhiwani | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1.94 |
| CharkhiDadri | 0 | 38 | 12 | 0 | 0 | 50 | 74.7 |
| Faridabad | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11.36 |
| Palwal | 7 | 509 | 59 | 1 | 0 | 576 | 126.66 |
| **Total** | **1496** | **1953** | **1782** | **1** | **3** | **5235** |  |

1. **Un-Insured Farmers (Kshatipurti Portal)**

91634.40 Acre area of Paddy crop has occurred loss during Kharif-2023 and assessment of Cotton crop by Revenue and Disaster Management Department is under process.

1. **The details of evaluation of loss of crops of Kharif-2023**

Evaluation of loss of crops has been tentatively calculated both for insured farmers covered under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, Haryana Fasal Suraksha Yojana and uninsured farmers under Kshatipurti Portal. The tentative calculation is as under:-

1. **Insured farmers (PMFBY):-** The following calculation have been made as a tentative claim based on average yield of Cotton crop under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana for Kharif 2023 and the evaluation of compensation for Paddy Crop is under process. The tentative claim to be paid to the farmers is as under:-.

(Amount in Crore)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sr. No.** | **District** | **Claim** |
| 1 | Bhiwani | 147.59 |
| 2 | Ch. Dadri | 17.99 |
| 3 | Faridabad | 0.01 |
| 4 | Fatehabad | 32.96 |
| 5 | Jhajjar | 1.42 |
| 6 | Kurukshetra | 0.04 |
| 7 | Nuh | 0.66 |
| 8 | Palwal | 0.75 |
| 9 | Panipat | 0.03 |
| 10 | Rewari | 0.20 |
| 11 | Rohtak | 7.09 |
| 12 | Sirsa | 49.42 |
| 13 | Y.Nagar | 0.03 |
| 14 | Kaithal | 0.00 |
| 15 | Panchkula | 0.00 |
|  | **Total** | **258.19** |

The payment of subsidy is under process and thereafter, process for claim will be initiated.

**Farmers under Haryana Fasal Surksha Yojana:-** The following is tentative calculations for Cotton crop loss financial assistance for Kharif 2023:-

(Amount in crore)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sr. No.** | **District** | **Financial Assistance** |
| 1 | Sonipat | 0.02 |
| 2 | Jind | 0.18 |
| 3 | Hisar | 59.38 |
| 4 | Mahendergarh | 0.82 |
| 5 | Gurugram | 0.02 |
| 6 | Ambala | 0.00 |
| 7 | Karnal | 0.00 |
|  | **Total** | **60.42** |

Calculation for payment of financial assistance for farmers covered under this scheme have been done and file have been moved for allotment of budget under this new scheme to Finance Department. Payment will be made on received of Budget from Finance Department.

1. **Farmers covered by Kshatipurti Portal (uninsured farmers):-**

An amount of Rs. 97.89 Crores have been paid by Revenue & Disaster Management Department for Moong, Bajra, Paddy, Maize & Sugarcane out of which Rs. 88.16 Crore have paid only for Paddy crop. The evaluation of compensation for Cotton Crop is under process. The District wise detail of compensation paid to uninsured farmers for Kharif 2023 is as under :-

(Amount in Crore)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sr. No.** | **District** | **Compensation** | |
| 1 | Bhiwani | 0.24 | |
| 2 | Ch. Dadri | 5.57 | |
| 3 | Faridabad | 1.35 | |
| 4 | Fatehabad | 18.65 | |
| 5 | Jhajjar | 1.48 | |
| 6 | Kurukshetra | 26.94 | |
| 7 | Nuh | 0.005 | |
| 8 | Palwal | 5.41 | |
| 9 | Panipat | 0.19 | |
| 10 | Rewari | 0.07 | |
| 11 | Rohtak | 2.53 | |
| 12 | Sirsa | 3.20 | |
| 13 | Y.Nagar | 2.61 | |
| 14 | Panchkula | 0.23 | |
| 15. | Sonipat | 5.15 | |
| 16 | Jind | 0.10 | |
| 17 | Hisar | 0.16 | |
| 18 | Mahendergarh | 0.11 | |
| 19 | Gurugram | 0.00 | |
| 20 | Ambala | 12.81 | |
| 21 | Karnal | 3.09 | |
| 22 | Kaithal | 7.99 | |
| **Total** | | | **97.89** | |

**नोट फार पैड**

**\*80 फसल बीमा की बकाया राशि**

भारत सरकार ने वर्ष 2016 में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) शुरू की। हरियाणा में, योजना के परिचालन दिशानिर्देशों और फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति की सिफारिश के आधार पर योजना को खरीफ 2016 से लागू किया जा रहा है। धान, बाजरा, मक्का, कपास और मूंग की फसलों को खरीफ मौसम में और गेहूं, सरसों, चना, जौ और सूरजमुखी को रबी मौसम में कवर किया जा रहा है। यह योजना राज्य में क्लस्टर दृष्टिकोण से क्रियान्वित की जा रही है। क्लस्टर I और II में प्रत्येक में 7 जिले हैं जबकि क्लस्टर III में 8 जिले हैं। किसानों का हिस्सा खरीफ के लिए बीमा राशि का 2%, रबी के लिए 1.5% और कपास (वाणिज्यिक/वार्षिक फसल) के लिए 5% है, शेष प्रीमियम राशि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा समान अनुपात में वहन की जाती है। योजना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः-

**(क) बीमित राशि**

**(रूपए प्रति हैक्टेयर)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| वर्ष | धान | बाजरा | मक्का | कपास | गेहूँ | सरसों | जौ | चना | सूरजमुखी | मूंग |
| 2016&17 | 62500 | 27500 | 25000 | 60000 | 55000 | 27500 | 25000 | 25000 | & | & |
| 2017&18 | 71500 | 33500 | 36000 | 69000 | 60500 | 36000 | 33500 | 26000 | & | & |
| 2018&19 | 73500 | 36000 | 41500 | 72000 | 66500 | 38000 | 40500 | 29500 | 39000 | & |
| 2019&20 | 77800 | 37000 | 38300 | 76600 | 63000 | 38500 | 40750 | 29600 | 39500 | & |
| 2020&21 | 84015 | 39536 | 42008 | 81545 | 64248 | 43244 | 42008 | 32124 | 42008 | & |
| 2021&22 | 88216 | 41512 | 44108 | 85622 | 67460 | 45406 | 44108 | 33730 | 44108 | & |
| 2022&23 | 92626 | 43588 | 46314 | 89903 | 70834 | 47676 | 46314 | 35416 | 46314 | 40750 |
| 2023&24 | 96371 | 46456 | 49421 | 98595 | 72896 | 48927 | 46456 | 35730 | 49421 | 43243 |

**(ख) कार्यान्वयन एजेंसियां (खरीफ और रबी दोनों के लिए): -**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **सीजन** | **क्लस्टर-I** | **क्लस्टर-II** | **क्लस्टर-III** |
| 2016&17 | रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस क० लि० | बजाज आलियान्ज़ जनरल इंश्योरेंस क० | आई.सी.आई.सी.आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस क० लि० |
| 2017&18 | आई.सी.आई.सी.आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस क० लि० | बजाज आलियान्ज़ जनरल इंश्योरेंस क० | बजाज आलियान्ज़ जनरल इंश्योरेंस क० |
| 2018&19 | आरियन्टल जनरल इंश्योरेंस क० | एस.बी.आई जनरल इंश्योरेंस क० | युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस क० |
| 2019&20 | एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी | एस.बी.आई जनरल इंश्योरेंस क० | बजाज आलियान्ज़ जनरल इंश्योरेंस क० |
| 2020&21 | एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी | रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस क० लि० | बजाज आलियान्ज़ जनरल इंश्योरेंस क० |
| 2021&22 | एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी | रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस क० लि० | बजाज आलियान्ज़ जनरल इंश्योरेंस क० |
| 2022&23 | एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी | रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस क० लि० | बजाज आलियान्ज़ जनरल इंश्योरेंस क० |
| 2023&24 | एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी | कोई बीमा कम्पनी नहीं | क्षेमा जनरल इंश्योरेंस क० लि० |

**(ग) खरीफ 2024 से रबी 2025-26 के लिए क्लस्टर-2 और क्लस्टर-3 के लिए निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं, जबकि क्लस्टर-1 एआईसी को आवंटित किया गया है।**

क्लस्टर-I सिरसा, भिवानी, फरीदाबाद, कुरूक्षेत्र, कैथल, पंचकुला, रेवाडी

क्लस्टर-II हिसार, सोनीपत, गुड़गांव, करनाल, जींद, महेंद्रगढ़, अंबाला।

क्लस्टर-III यमुनानगर,पानीपत,पलवल,रोहतक,फतेहाबाद,झज्जर,मेवात,चरखीदादरी

खरीफ 2023 से भिवानी जिले को, रोहतक जिले से बदल दिया गया है।

**(घ) जोखिम कवर**

**क) स्थानीय आपदाएँ:-**

(i) **आपदा:** -ओलावृष्टि, बाढ़, बादल फटना और बिजली गिरना।

(ii) **हानि मूल्यांकन की विधि:** - संयुक्त समिति अर्थात खण्ड कृषि अधिकारी, बीमा कंपनी के हानि मूल्यांकनकर्ता और संबंधित किसान द्वारा व्यक्तिगत क्षेत्र स्तरीय सर्वेक्षण।

**ख) खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक):-**

(i) **खड़ी फसल:** -सूखा, सूखे का मौसम, बाढ़, जलभराव, व्यापक कीट और बीमारी का हमला, बिजली गिरना, तूफान/ओलावृष्टि।

(ii) **हानि मूल्यांकन की विधिः** -फसल काटने के प्रयोगों के माध्यम से ग्राम स्तर पर हानि का आकलन।

**ग) फसल कटाई के बाद का नुकसान:**

(i) **आपदा:** -ओलावृष्टि, चक्रवाती बारिश और बैमोसमी बारिश।

(ii) **नुकसान के आकलन की विधिः** -संयुक्त समिति यानी खण्ड कृषि अधिकारी, बीमा कंपनी के नुकसान मूल्यांकनकर्ताओं और संबंधित किसान द्वारा व्यक्तिगत क्षेत्र स्तर का सर्वेक्षण।

**(ड) खरीफ 2016 से रबी 2022-23 तक योजना की प्रगति**

**(राशि लाख में)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **सीजन** | **कुल कवर किए गए किसान** | **कुल कवर किया गया क्षेत्र** | **लाभान्वित किसानों की संख्या** | **एकत्रित प्रीमियम** | | | | **कुल प्रीमियम** | **क्लेम** |
| **किसानों का हिस्सा** | **राज्य सरकार का हिस्सा** | **केन्द्र सरकार का** |  | |  |
| खरीफ 2016 | 738795 | 29-46 | 150881 | 12735-62 | 8332-42 | 4616-37 | 25684-41 | | 23423-05 |
| रबी 2016-17 | 597298 | 22-25 | 62606 | 6994-67 | 1892-81 | 1892-81 | 10780-29 | | 5702-64 |
| खरीफ 2017 | 632421 | 23-77 | 242699 | 12486-66 | 11435-53 | 6181-92 | 30104-11 | | 80499-83 |
| रबी 2017-18 | 691246 | 22-84 | 77433 | 8125-68 | 3378-77 | 3378-77 | 14883-22 | | 8624-74 |
| खरीफ 2018 | 722953 | 24-42 | 319454 | 13908-27 | 26084-97 | 18099-62 | 58092-86 | | 80448-59 |
| रबी 2018-19 | 774947 | 26-97 | 90284 | 10236-94 | 8526-07 | 8526-07 | 27289-08 | | 14277-33 |
| खरीफ 2019 | 820585 | 27-81 | 247547 | 16743-15 | 39950-81 | 28969-97 | 85663-92 | | 59076-09 |
| रबी 2019-20 | 890453 | 27-81 | 313145 | 10162-66 | 13156-30 | 13156-30 | 36475-23 | | 34576-79 |
| खरीफ 2020 | 887258 | 24-76 | 354807 | 26470-94 | 34953-32 | 34943-47 | 96367-73 | | 110981-77 |
| रबी 2020-21 | 757035 | 21-71 | 117844 | 7985-11 | 13213-26 | 13202-41 | 34400-78 | | 15784-25 |
| खरीफ 2021 | 746606 | 20-48 | 423450 | 24249-02 | 31925-03 | 31925-00 | 88099-05 | | 140007-72 |
| रबी 2021-22 | 733674 | 20-38 | 220735 | 7606-53 | 13639-77 | 13632-14 | 34878-44 | | 25372-68 |
| खरीफ 2022 | 818761 | 21-27 | 404292 | 28708-21 | 36665-33 | 36666-47 | 102040-01 | | 180473-00 |
| रबी 2022-23 | 739181 | 20-37 | 181317 | 7921-52 | 14356-47 | 14350-73 | 36628-72 | | 38629-00 |
| खरीफ 2023 | 2438233  ¼201579 किसान ½ | 6-27 | -- | 9239-42 | 14089-73 | 14089-73 | 37418-88 | | 0 |
| रबी 2023-24 | 6362291  ¼226688 किसान ½ | 13-82 | -- | 5231-58 | 9221-82 | 9221-82 | 23675-22 | | 0 |
| **कुल** | **13450507** | **354-39** | **3206494** | **208805-98** | **280822-41** | **252853-6** | **742481-95** | | **817877-48** |
| **आंकडे करोड में** |  |  |  | **2088.06** | **2808.22** | **2528.54** | **7424.82** | | **8178.77** |

**(च)** **योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के तहत शिकायत तंत्र या विवादों के निपटान हेतु विभिन्न स्तरों पर कईं समितियों का गठन किया गया है।**

1. योजना के तहत राज्य स्तरीय विवादों का समाधान करने के लिए राज्य स्तरीय शिकायत समिति।

2. योजना के तकनीकी विवादों को देखने या निर्णय लेने के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति।

3. योजना के तहत जिला स्तरीय विवादों का समाधान करने के लिए जिला स्तरीय शिकायत समिति।

4. उपज संबंधी विवादों के समाधान हेतु जिला स्तरीय संचालन समिति।

5. योजना के तहत स्थानीयकृत दावों का आकलन करने के लिए हानि निर्धारण/सर्वेक्षण समिति

**(छ) दावे के भुगतान की समय सीमा**

क. स्थानीय आपदा के मामले में, बीमा कंपनियां नुकसान का आकलन पूरा होने के बाद 15 दिनों के भीतर (किसानों के प्रीमियम की प्राप्ति और सब्सिडी की पहली किस्त के अधीन) दावे का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं।

ख. बीमा कंपनियाँ पोर्टल पर औसत पैदावार का डाटा अपलोड करने/राज्य सरकार द्वारा सॉफ्ट कॉपी में प्रदान किए जाने के 30 दिनों के बाद दावे का भुगतान करती हैं, जो राज्य सरकार द्वारा लागू सब्सिडी जारी करने के अधीन है। यदि बीमा कंपनी समय पर दावे का भुगतान करने में विफल रहती है, तो स्वीकृत लंबित दावों पर 12% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा।

**(ज) संभावित लंबित मुआवजे का जिलावार विवरण**

**(राशि करोड़ में)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **जिला** | **एनईएफटी/पीएफएमएस अस्वीकृति के कारण** | | **बकाया दावे 2022-23** | **कुल** |
| **2021-22** | **2022-23** |
| अंबाला | 0-02 | 0-00 | 0-00 | 0-02 |
| भिवानी | 2-49 | 0-05 | 52-00 | 54-54 |
| चरखी दादरी | 0-15 | 0-00 | 0-00 | 0-15 |
| फरीदाबाद | 0-28 | 0-00 | 0-00 | 0-28 |
| फतेहाबाद | 0-37 | 0-01 | 0-00 | 0-38 |
| गुरूग्राम | 0-07 | 0-00 | 0-00 | 0-07 |
| हिसार | 0-80 | 0-00 | 68-00 | 68-8 |
| झज्जर | 0-02 | 0-00 | 0-00 | 0-02 |
| जींद | 0-42 | 0-00 | 0-00 | 0-42 |
| कैथल | 0-32 | 0-00 | 0-00 | 0-32 |
| करनाल | 0-00 | 0-00 | 0-00 | 0-00 |
| कुरूक्षेत्र | 0-20 | 0-01 | 0-00 | 0-21 |
| महेन्द्रगढ़ | 0-03 | 0-01 | 0-00 | 0-04 |
| नूह | 0-09 | 0-00 | 21-00 | 21-09 |
| पलवल | 0-00 | 0-01 | 0-00 | 0-01 |
| पंचकूला | 0-01 | 0-00 | 2-00 | 2-01 |
| पानीपत | 0-03 | 0-00 | 0-00 | 0-03 |
| रेवाड़ी | 1-97 | 0-03 | 7-90 | 9-9 |
| रोहतक | 0-10 | 0-00 | 0-00 | 0-1 |
| सिरसा | 2-60 | 0-06 | 0-00 | 2-66 |
| सोनीपत | 0-32 | 0-00 | 0-00 | 0-32 |
| यमुनानगर | 0-01 | 0-00 | 3-5 | 3-51 |
| **कुल** | **10-3** | **0-18** | **154-4** | **164-88** |

\* 2022-23 के लिए भिवानी, हिसार, पंचकुला और रेवाडी के बकाया दावे शीघ्र ही जारी किए जाएंगे और यमुनानगर का मामला निर्णय के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति में उठाया जाएगा। नूंह जिले के क्लेम जांच के कारण लंबित है।

\* 2023-24 का दावा भुगतान प्रक्रियाधीन है।

**(झ) खरीफ-2023 के दौरान बारिश के कारण कपास और धान की फसल को हुए भारी नुकसान के बारे में विवरण**

खरीफ-2023 के दौरान कपास और धान की फसल को बारिश के कारण हुए नुकसान का आकलन कृषि विभाग के साथ-साथ बीमा कंपनी द्वारा बीमाकृत किसानों के लिए और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गैर-बीमाकृत किसानों के लिए किया जाता है। दोनों प्रकार के किसानों का विवरण इस प्रकार है:-

**(i) बीमित किसान**

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2023 के दौरान कुल 1430.48 हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है। जिलेवार फसल हानि की सूचना और प्रभावित क्षेत्र का विवरण इस प्रकार हैः-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **जिला** | **किसानों के नुकसान आवेदन** | | | | | | **कुल प्रभावित क्षेत्र** |
| **धान** | **कपास** | **बाजरा** | **मक्का** | **मूंग** | **कुल** |
| रेवाड़ी | 8 | 471 | 370 | 0 | 1 | 850 | 281-70 |
| फतेहाबाद | 1 | 137 | 3 | 0 | 0 | 141 | 74-27 |
| नूह | 1459 | 6 | 1188 | 0 | 0 | 2653 | 564-68 |
| झज्जर | 14 | 754 | 138 | 0 | 0 | 906 | 257-71 |
| पंचकूला | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-35 |
| रोहतक | 2 | 29 | 7 | 0 | 0 | 38 | 19-59 |
| सिरसा | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17-52 |
| भिवानी | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1-94 |
| चरखीदादरी | 0 | 38 | 12 | 0 | 0 | 50 | 74-7 |
| फरीदाबाद | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11-36 |
| पलवल | 7 | 509 | 59 | 1 | 0 | 576 | 126-66 |
| कुल | **1496** | **1953** | **1782** | **1** | **3** | **5235** | **1430-48** |

**(ii) गैर-बीमाकृत किसान (क्षतिपूर्ति पोर्टल)**

खरीफ-2023 के दौरान 91634.40 एकड़ धान की फसल को नुकसान हुआ है और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कपास की फसल का आकलन प्रक्रियाधीन है।

**¼´½ खरीफ-2023 की फसलों के नुकसान के मूल्यांकन का विवरण**

बीमित किसानों की फसलों के नुकसान का आंकलन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा हरियाणा फसल सुरक्षा योजना के तहत तथा गैर-बीमित किसानों के क्षतिपूर्ति पोर्टल के तहत किया गया है। अनुमानित गणना इस प्रकार हैः -

**(i) बीमित किसान (पीएमएफबीवाई):-** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2023 के लिए कपास की फसल की औसत उपज के आधार पर अनुमानित क्लेम की निम्नलिखित गणना की गई है और धान की फसल के लिए मुआवजे का मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है। किसानों को भुगतान किया जाने वाला अनुमानित क्लेम इस प्रकार हैः-

**(राशि करोड़ में)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र०सं०** | **जिला** | **क्लेम** |
| 1 | भिवानी | 147-59 |
| 2 | चरखी दादरी | 17-99 |
| 3 | फरीदाबाद | 0-01 |
| 4 | फतेहाबाद | 32-96 |
| 5 | झज्जर | 1-42 |
| 6 | कुरूक्षेत्र | 0-04 |
| 7 | नूह | 0-66 |
| 8 | पलवल | 0-75 |
| 9 | पानीपत | 0-03 |
| 10 | रेवाड़ी | 0-20 |
| 11 | रोहतक | 7-09 |
| 12 | सिरसा | 49-42 |
| 13 | यमुनानगर | 0-03 |
| 14 | कैथल | 0-00 |
| 15 | पंचकूला | 0-00 |
|  | कुल | **258-19** |

सब्सिडी का भुगतान प्रक्रियाधीन है और उसके बाद दावे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

**(ii) हरियाणा फसल सुरक्षा योजना के तहत किसानः**- खरीफ 2023 के लिए कपास की फसल के नुकसान की वित्तीय सहायता के लिए निम्नलिखित अस्थायी गणना हैः-

**(राशि करोड़ में)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र०सं० | जिला | जिला |
| 1 | सोनीपत | 0-02 |
| 2 | जींद | 0-18 |
| 3 | हिसार | 59-38 |
| 4 | महेन्द्रगढ़ | 0-82 |
| 5 | गुरूग्राम | 0-02 |
| 6 | अंबाला | 0-00 |
| 7 | करनाल | 0-00 |
|  | कुल | **60-42** |

इस योजना के अंतर्गत आने वाले किसानों के लिए वित्तीय सहायता के भुगतान की गणना की जा चुकी है और इस नई योजना के तहत बजट आवंटन के लिए फाइल वित्त विभाग को भेज दी गई है। वित्त विभाग से बजट मिलने पर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

**(iii) क्षतिपूर्ति पोर्टल के अंतर्गत आने वाले किसान (गैर बीमित वाले किसान):-**

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मूंग, बाजरा, धान, मक्का एवं गन्ना के लिए 97.89 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है, जिसमें से रु. केवल धान की फसल के लिए 88.16 करोड़ का भुगतान किया गया है। कपास फसल के मुआवजे का मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है। खरीफ 2023 के लिए गैर-बीमाकृत किसानों को भुगतान किए गए मुआवजे का जिलेवार विवरण इस प्रकार हैः-

**(राशि करोड़ में)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र०सं०** | **जिला** | **मुआवजा** |
| 1 | भिवानी | 0-24 |
| 2 | चरखी दादरी | 5-57 |
| 3 | फरीदाबाद | 1-35 |
| 4 | फतेहाबाद | 18-65 |
| 5 | झज्जर | 1-48 |
| 6 | कुरूक्षेत्र | 26-94 |
| 7 | नूह | 0-005 |
| 8 | पलवल | 5-41 |
| 9 | पानीपत | 0-19 |
| 10 | रेवाड़ी | 0-07 |
| 11 | रोहतक | 2-53 |
| 12 | सिरसा | 3-20 |
| 13 | यमुनानगर | 2-61 |
| 14 | पंचकूला | 0-23 |
| 15 | सोनीपत | 5-15 |
| 16 | जींद | 0-10 |
| 17 | हिसार | 0-16 |
| 18 | महेन्द्रगढ़ | 0-11 |
| 19 | गुरूग्राम | 0-00 |
| 20 | अंबाला | 12-81 |
| 21 | करनाल | 3-09 |
| 22 | कैथल | 7-99 |
|  | **कुल** | **97-89** |